न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 02/2014

बउनवान

राज्य सरकार जर्ये प्रवर्तन निरीक्षक, बारां(राज.) (प्रार्थी)

बनाम

श्रीमती चंदाबाई पत्नी श्री सोहनलाल चौरसिया उचित मूल्य दूकानदार, वार्ड नं0 3, 8, 9 मॉगरोल तहसील–मॉगरोल जिला–बारां (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 धारा, 6(ए) के तहत

उपस्थिति :–1. पेरोकार रसद (प्रार्थी)

2. श्री गजेन्द्र कुमार पंचौली,अभिभाषक (अप्रार्थी)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक– 27.03.2019

1– प्रार्थी अदिति जगरवाल,प्रवर्तन निरीक्षक, बारां ने इस्तगासा विरूद्व अप्रार्थी अन्तर्गत धारा, 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर इस्तगासे में अंकित किया है कि दिनांक 23.05.2014 को श्रीमती चंदाबाई उचित मूल्य दूकानदार वार्ड नं0 3, 8, 9 मॉगरोल शहर के यहॉ पहुॅचकर जॉच की गयी। अप्रार्थीयॉ अनुपस्थित मिलने व पुत्र श्री हिमांश चौरसिया उपस्थित मिलने पर, उनकी उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर में चीनी 238 किलो 200 ग्राम दर्ज होना पाया गया । जबकि भौतिक सत्यापन करने पर 360 किलो चीनी जिसमें 50–50 किाले के 7 कट्टे एवं 10 किलो अलग कट्टे में रखी पायी गयी। मौके पर 121 किलो 800 ग्राम चीनी अधिक पाई गयी। इस संबंध में उनके पुत्र श्री हिमांश चौरसिया द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं देने एवं स्टॉक रजिस्टर मे अनुसार अधिक मात्रा में चीनी पाये जाने पर 121 किलो 800 ग्राम चीनी को कब्जेराज लेकर जप्त सरकार किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से चीनी खुर्द बुर्द नहीं करने की शर्त पर समीपवर्ती डीलर श्री ईश्वरचंद यादव वार्ड नं0 1 व 2 की अस्थाई सुपुर्दगी में दी गयी। इस प्रकार उचित मूल्य दूकानदार द्वारा राजस्थान [illegible] अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश–1976 का [illegible] जाने से, इस्तगासा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 195 की धारा, 6(ए) का [illegible] जप्तशुदा 121 किलो 800 ग्राम चीनी मय बारदाना को राजसात किये जाने [illegible] जप्तशुदा चीनी के अन्तरित निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

[illegible] प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। जप्तशुदा चीनी खराब होने वाली [illegible] जप्तशुदा चीनी 121 किलो 800 ग्राम के खुली नीलामी में विक्रय करने के आदेश दिये गये तथा अप्रार्थीयॉ को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीयॉ की [illegible] 3.2017 को जवाब नोटिस पेश किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3— अप्रार्थीयॉ ने जवाब में अंकित किया है कि उचित मुल्य दूकान के स्टॉक की जॉच करने पर स्टॉक रजिस्टर में 238 किलो 800 ग्राम चीनी अधिक दर्ज होना बताया है, भौतिक सत्यापन करने पर 360 किलो चीनी 50—50 किलो के 7 कट्टो में एवं 10 किलो अलग कट्टे में बताकर मौके पर 121 किलो 800 ग्राम चीनी अधिक बतायी है, उक्त आरोप अस्वीकार है क्योकि स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज चीनी अटेचमेंट वाली दुकान महलपुर द्धितीय का शेष स्टॉक था। रसद विभाग ने कार्यवाहीं के दौरान अप्रार्थीयॉ को नहीं बुलाया गया ना हीं स्पष्टीकरण हेतु बुलाया गया। बिना सुनवाई किये कार्यवाहीं की गयी है। अतः इस्तगासा अस्वीकार कर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी, बारां को मौके पर स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्टर का सहीं ढंग से निरीक्षण किया जाकर, कि उक्त चीनी अटेचमेंट दुकान महलपुर द्धितीय की है, रिपोर्ट प्राप्त कर, जप्तशुदा चीनी की नीलामी राशि प्रार्थी को लौटायी जावे।

4— प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब प्राप्त होने पर, बहस विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थीयॉ अभिभाषक सुनी गयी।

5— बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी डीलर की दुकान पर दिनांक 23.5.2014 को निरीक्षण किया गया था। अप्रार्थीयॉ वक्त निरीक्षण मौके पर मौजूद नहीं मिली। अप्रार्थीयॉ के पुत्र की मौजूदगी में दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वितरण रजिस्टर के मुताबिक डीलर के पास 360 किग्रा. चीनी पायी गयी जबकि डीलर के स्टॉक व वितरण रजिस्टर के अनुसार 238 किला 800 ग्रा. मौजूद मिलना चाहिये था। इस प्रकार 121 किलो 800 ग्राम चीनी अधिक पायी गयी है। जो डीलर की अनियमितता एवं लापरवाहीं हो दर्शाता है। इसी आधार पर डीलर के यहॉ से 121 किलो 800 ग्राम चीनी जप्त की गयी है। जप्तशुदा चीनी का अन्तरिम निस्तारण हो चुका है। अतः जप्तशुदा चीनी को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

6— इसके विपरीत अप्रार्थीयॉ अभिभाषक ने पेरोकार रसद के कथन का खण्डन करते हुये व्यक्त किया कि रसद विभाग ने राजनैतिक दबाब में उसके विरूद्व कार्यवाहीं की गयी है। वक्त निरीक्षण अप्रार्थीयॉ को कोई सूचना नहीं दी गयी। ना हीं कार्यवाहीं पश्चात् कोई सूचना दी गयी है। समस्त कार्यवाहीं एकपक्षीय तरीके से तैयार की गयी है। रसद विभाग द्वारा उसकी दुकान में 121 किलो 800 ग्राम चीनी स्टॉक में अधिक बतायी गयी है। यह चीनी उसके अटेचमेंट दुकान महलपुर द्धितीय की थी। [illegible] मौके पर कोई जॉच नहीं की गयी है। अप्रार्थीयॉ द्वारा नियमित रूप से उपभोक्ताओं को राशनकार्ड पर सामग्री का वितरण किया गया है। चीनी के छो[illegible] स्टॉक पूर्ण पाया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ज़ॉच पडताल किये एकपक्षीय कार्यवाहीं कर, चीनी को जप्त किया गया है, जो पूर्णतया नि[illegible] कानून सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा खारिज [illegible]

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

7— हमने विद्वान पेरोकार रसद एवं अप्रार्थीयॉ अभिभाषक को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीयॉ की दुकान का दिनांक 23.5.2014 को निरीक्षण किया गया था। वक्त निरीक्षण जॉच के दौरान डीलर के पास 121 किलो 800 ग्राम चीनी अधिक पाये जाने पर उक्त चीनी को जप्त कर, राजसात करने हेतु इस्तगासा पेश किया गया है। इस संबंध में अप्रार्थीयॉ को सुनने पर अप्रार्थीयॉ का कथन रहा है कि जप्तशुदा चीनी अटेचमेंट दुकान महलपुर द्वितीय की है। जबकि रसद विभाग को वक्त निरीक्षण ऐसा कोई तथ्य या दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि उक्त स्टॉक अटेचमेंट दुकान का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा मौके पर स्टॉक व वितरण रजिस्टर की जॉच के दौरान अप्रार्थीयॉ के दुकान पर 121 किलो 200 ग्राम चीनी अधिक पाये जाने पर, जप्त की गयी है जो उचित प्रतीत होती है।

8— परिणामस्वरूप, प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जप्तशुदा चीनी 121 किलो 200 ग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, बारां को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्तशुदा चीनी के अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त आय को राजकीय जप्ती मद में जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(... सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official